संख्या—2163 / नौ—5—2011—324स / 09

प्रेषक,

पी0वी0जगनमोहन
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त जिलाधिकारी,
2.समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम, उ0प्र0,
3.समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद /
नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग—5 लखनऊः दिनांकः 20 अप्रैल, 2011

विषयः— नगरीय क्षेत्रों में बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0—5911 / नौ—5—2009—324सा / 2009, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थापित सरकारी / निजी अस्पतालों / नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट (अस्पताली कचरा) का निस्तारण बायो मेडिकल वेस्ट रूल्स में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया नगरी क्षेत्रों में स्थापित सरकारी / निजी अस्पतालों / नर्सिंग होम से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट (अस्पताली कचरा) के निस्तारण के अनुश्रवण हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण की अध्यक्षता में निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है :—

1. क्षेत्रीय अधिकारी पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण—अध्यक्ष
2. नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी—सदस्य
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी—सदस्य

3— उक्त समिति द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण के सबंध में प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करते हुए अपनी आख्या संबंधित विभागों को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जाएगी। कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0वी0जगनमोहन)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य [illegible]/पर्यावरण विभाग।

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण.बोर्ड।

3– निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव।